भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3048

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में पीएमईजीपी

3048. **श्री मोहम्मद हनीफ़ाः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) लद्दाख के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत परियोजनाओं, संवितरित ऋणों और लाभान्वित व्यक्तियों की लेह और कारगिल जिलों सहित जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) लेह और कारगिल जिलों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई मार्जिन मनी राजसहायता की कुल राशि तथा इसके माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कठिन भूभाग, कम जनसंख्या और सीमित औद्योगिक आधार को ध्यान में रखते हुए संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में पीएमईजीपी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लेह और कारगिल जिलों में जागरूकता में सुधार लाने, ऋण सुगमता बढ़ाने और पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): विगत पांच वर्षों के दौरान अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक लद्दाख के संघराज्य क्षेत्र (लेह और कारगिल जिले के लिए अलग-अलग) में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या, अनुमोदित परियोजनाएं, संवितरित ऋण, कवर किए गए लाभार्थी, संस्वीकृत और जारी की गई मार्जिन मनी सब्सिडी तथा अनुमानित सृजित रोजगार निम्नानुसार है:

जिला	प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	बैंक द्वारा संवितरित ऋणों की संख्या	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत और जारी की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख)	अनुमानित सृजित रोजगार
लेह	416	285	256	263	1492.38	2367
कारगिल	1062	631	517	562	2137.66	5,058

(ग): मंत्रालय ने लद्दाख सहित सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में पीएमईजीपी इकाइयों के कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से पीएमईजीपी का मूल्यांकन अध्ययन कराया है। अधिकांश पीएमईजीपी इकाइयों में विभिन्न वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों में औसत वार्षिक आय में वृद्धि और धनात्मक लाभप्रदता की सूचना है। इसके अलावा, सरकार समय-समय पर कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), राज्य जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और वित्तीय संस्थानों के साथ मंत्रालय की समीक्षा बैठकों के माध्यम से संघराज्य क्षेत्र लद्दाख सहित पूरे देश में पीएमईजीपी के कार्यान्वयन का विधिवत आकलन करती है।

(घ): लेह और कारगिल जिलों सहित पूरे देश में जागरूकता बढ़ाने, ऋण लिंकेज को सुविधाजनक बनाने और पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पिछड़े और कमतर कार्य-निष्पादन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पर्वतीय क्षेत्रों आदि में संभावनाशील लाभार्थियों को चिह्नित करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम।

ii. संभावनाशील लाभार्थियों को रियल-टाइम सहायता और पथ-प्रदर्शन उपलब्ध कराने के लिए राज्य कार्यालयों में पीएमईजीपी हेल्पडेस्क की स्थापना।

iii. विभिन्न उद्योगों पर तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के 1,000 से अधिक मॉडल की विस्तृत श्रृंखला पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

iv. एमएसएमई को ऋण देने पर आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक के ऋण वाली परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा किसी संपार्श्विक सुरक्षा पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। सभी वित्तपोषक बैंकों से स्पष्ट कहा गया है कि वे इस प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करें।

v. पीएमईजीपी पोर्टल को समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जो 'जन समर्थ' पोर्टल के माध्यम से वित्तपोषक बैंकों के साथ एकीकृत है, जिससे आवेदकों को विभिन्न चरणों में एसएमएस अलर्ट भेजकर अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है।

vi. ऋणों की उचित संस्वीकृति और एमएम सब्सिडी के संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जोनल स्तर पर बैंकर की समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।
